

प्रेषक,

नागेश्वर नाथ उपाध्याय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनु0-2

लखनऊ: दिनांक:

3 जुलाई, 2008

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत विभागों से प्रत्येक माह में लम्बित/निस्तारित आवेदन पत्रों की स्थिति की सूचना प्राप्त करने विषयक।

महोदय,


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे भारतवर्ष में प्रभावी है। इस अधिनियम के अंतर्गत जनता को 30 दिन में सूचना प्रदान किये जाने हेतु धारा 5(1) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकरण को अपनी सभी प्रशासनिक इकाइयों तथा कार्यालयों में इस अधिनियम के अधिनियम की तिथि 15 जून, 2005 से 100 दिन के अन्दर जन सूचना अधिकारी तथा धारा 19(1) के अनुसार जन सूचना अधिकारी से सूचना न प्राप्त होने की स्थिति में प्रथम अपील किये जाने हेतु जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर का अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, के रूप में नामित किये जाने का प्रावधान है।

2- प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभागों एवं विभागों के अधीन समस्त लोक प्राधिकरणों व उनकी सभी प्रशासनिक इकाइयों तथा कार्यालयों में जन सूचना अधिकारी नामित किये जाने के निर्देश किये जाने के निर्देश समय-समय पर पूर्व में दिये जा चुके हैं।

3- मुख्य सचिव महोदय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रत्येक विभाग में माह में लम्बित आवेदन पत्रों की स्थिति तथा माह में निस्तारित आवेदन पत्रों की स्थिति की समीक्षा अपने स्तर पर किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मुझे आगे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पत्र के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रत्येक विभाग अपनी सकलित सूचना प्रत्येक माह की 03 तारीख तक प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि सम्पूर्ण स्थिति से प्रत्येक माह मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,


(नागेश्वर नाथ उपाध्याय)
प्रमुख सचिव।

